

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2728]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्राहायण 18, 1935

No. 2728]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 18, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3601(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1479(अ) तारीख 4 जून 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 7 जून, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तर प्रदेश) तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18.8.2013 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्पन्न किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : भरतपुर		जिला : भरतपुर	राज्य राजस्थान		
क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	धौरमुई	305	00	06	82
		304	00	02	40
		272	00	03	60
		303	00	02	88
		275	00	01	49
		302	00	02	24
		295	00	18	56
		300	00	03	71
		293	00	00	60
		294	00	01	20
		299	00	03	20
		296	00	01	60
		342	00	09	00
		523	00	04	40
		519	00	10	00
		445	00	00	60
		522	00	05	32
		521	00	05	21
		520	00	03	92
		518	00	10	08
		516	00	03	08
		517	00	05	04
		515	00	02	48
		539	00	03	60

1	धौरमुई (जारी....)	540	00	03	60
		556	00	01	60
		555	00	08	70
		554	00	08	10
		553	00	04	12
		594	00	00	63

[फा. सं. आर-31015/33/2012-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2013

S.O. 3601 (E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1479(E) dated the 4th June, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 7th June, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product from Rewari in the State of Haryana to Kanpur in the State of Uttar Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 18.8.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluka : Bharatpur		District : Bharatpur	State : Rajasthan		
Sr. No.	Name of Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Dhaurmui	305	00	06	82
		304	00	02	40
		272	00	03	60
		303	00	02	88
		275	00	01	49
		302	00	02	24
		295	00	18	56
		300	00	03	71
		293	00	00	60
		294	00	01	20
		299	00	03	20
		296	00	01	60
		342	00	09	00
		523	00	04	40
		519	00	10	00
		445	00	00	60
		522	00	05	32
		521	00	05	21
		520	00	03	92
		518	00	10	08
		516	00	03	08
		517	00	05	04
		515	00	02	48
		539	00	03	60
		540	00	03	60
		556	00	01	60
		555	00	08	70
		554	00	08	10
		553	00	04	12
		594	00	00	63

[F. No. R- 31015 / 33 /2012- OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.